भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2051

30.07.2021 को उत्तर के लिए

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों/सामानों का अप्रचलित हो जाना

2051. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को योजनाबद्ध तरीके से अप्रचलित कर दिए जाने से उक्त उत्पादों की उपयोग-अवधि कम हो जाती है तथा इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरा) की बढ़ती समस्या और बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को योजनाबद्ध तरीके से अप्रचलित बनाए जाने की समस्या से निपटने हेतु सरकार ने क्या कार्ययोजना बनाई है; और

(ग) भारतीय बाजार में बेचे गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता, मरम्मत एवं वारंटी के संबंध में वर्तमान में क्या दिशानिर्देश मौजूद हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के जीवनकाल को छोटा करने के लिए अप्रचलन की योजना बनाई जा रही है। हालांकि, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में प्रौद्योगिकी और सुविधाओं में खासकर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में तेजी से उन्नयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ई-कचरा प्रबंधन के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रहा है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण की दृष्टि से ई-कचरे के निपटान के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है। इन विनियमों का उद्देश्य ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करना है जिससे ई-कचरे का प्रबंधन इस तरह से किया जाए जो स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाए जो इस तरह के ई-कचरे से हो सकता है।

(ग) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए है। उक्त नियम केवल ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हैं न कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद/माल प्रबंधन के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार भारतीय बाजार में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मत, वारंटी और गुणवत्ता के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं।

****